International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 7.9 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

भारत में स्थानीय संस्थाओं की बदलती भूमिका

डॉ. संजय भारद्वाज
सह आचार्य
राजकीय महाविद्यालय, डेगाना, नागौर (राज.)

सारांश

भारत में स्थानीय शासन की संरचना का विकास एक लंबी यात्रा का परिणाम है, जिसमें प्राचीन पंचायत प्रणालियों से लेकर आधुनिक संवैधानिक पंचायती राज तक अनेक चरण शामिल हैं। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों (1992) ने स्थानीय संस्थाओं – ग्राम पंचायतों से लेकर नगर निकायों को संवैधानिक मान्यता देकर सत्ता का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया। इन सुधारों के फलस्वरूप ग्रामीण व शहरी स्तर पर स्थानीय निकायों की संख्या और शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिनमें महिलाओं की भागीदारी आरक्षण जैसे प्रावधानों के कारण ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। वर्तमान में पंचायतें एवं नगर पालिकाएँ स्थानीय विकास योजनाओं के निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन तथा डिजिटल तकनीक का उपयोग करके प्रशासन में पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हालांकि, वित्तीय संसाधनों की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, तथा जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की कमी जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। भविष्य में वित्तीय एवं प्रशासनिक सशक्तीकरण, तकनीकी नवाचारों का विस्तार तथा सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करके स्थानीय स्वशासन को और प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

कीवर्ड:- भारत, संविधान, सामुदायिक विकास कार्यक्रम

भारत में स्थानीय शासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में स्थानीय स्वशासन की जड़ें प्राचीन काल तक जाती हैं, जब सामुदायिक पंचायतें लोक प्रशासन का माध्यम थीं। औपनिवेशिक काल में 1882 के लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव ने आधुनिक स्थानीय स्वशासन की नींव डाली।[i] आज़ादी के बाद 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) शुरू किया गया, परंतु जनसहभागिता के अभाव में यह अपेक्षित सफलता नहीं पा सका। इस असफलता के कारणों की जाँच के लिए 1957 में बलवंतराय मेहता समिति बनी, जिसने निष्कर्ष दिया कि विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गाँव स्तर पर जनता द्वारा चुनी गई एक संगठनात्मक पंचायती इकाई होनी चाहिए। इसी सिफारिश के आधार पर विभिन्न राज्यों में 1950–60 के दशक में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली (ग्राम, तहसील/ब्लॉक, जिला) स्थापित की गई। 1977 में अशोक मेहता समिति ने पंचायती

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 7.9 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

राज व्यवस्था की समीक्षा कर इसे "लोकतंत्र की आत्मा" बताया तथा पंचायतों को और अधिक अधिकार देने की सिफारिश की। इस रिपोर्ट से प्रभावित होकर कुछ राज्यों (जैसे पश्चिम बंगाल) में पंचायतें अधिक प्रभावशाली हुईं। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, जिससे उनकी स्थिति कमजोर बनी रही। 1990 के दशक की शुरुआत में यह महसूस किया गया कि संवैधानिक संरक्षण के बिना वास्तविक स्थानीय स्वशासन सुदृढ़ नहीं हो सकता। परिणामस्वरूप, स्थानीय शासन को मजबूती देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1992 में 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन पारित किए गए।[ii]

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन का प्रभाव

73वें संशोधन (पंचायती राज) तथा 74वें संशोधन (नगर पालिका) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पहली बार भारत में स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इन संशोधनों के लागू होने (अप्रैल 1993) के साथ भारत के संघीय ढाँचे में केंद्र और राज्य के साथ "तीसरे" स्तर पर एक स्थानीय शासन इकाई को स्थापित कर त्रि–स्तरीय संघीय व्यवस्था की शुरुआत हुई।[iii] ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम, मध्यवर्ती (जनपद/तहसील) एवं जिला पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर परिषद व नगर निगम जैसे निकायों की संरचना को संविधान द्वारा स्पष्ट किया गया। अब पंचायती राज संस्थानों (PRIs) और नगरीय निकायों में नियमित रूप से हर पाँच वर्ष में चुनाव कराना एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय शासन सुनिश्चित करना राज्यों की संवैधानिक बाध्यता है। इन संशोधनों ने राज्यों को निर्देश दिए कि वे अपने पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से पंचायतों/नगर निकायों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएँ बनाने और 29 विषयों (ग्राम पंचायतों हेतु, 11वीं अनुसूची) तथा 18 विषयों (नगर निकायों हेतु, 12वीं अनुसूची) पर क्रियान्वयन का अधिकार दें।[2] साथ ही, स्थानीय योजनाओं के समन्वय हेतु जिला योजना समितियों के गठन, निधि आवंटन हेतु राज्य वित्त आयोगों के प्रत्येक पाँच वर्ष में गठन, तथा चुनाव संचालन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जैसे प्रावधान भी किए गए। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रतिनिधित्व के स्तर पर आया – अनुसूचित जाति/जनजाति के अनुपातानुसार आरक्षण के अलावा प्रत्येक स्तर की पंचायत/नगर निकाय में कम–से–कम एक–तिहाई सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया। इन प्रावधानों के फलस्वरूप देश में वर्तमान में लगभग 2.5 लाख से अधिक पंचायतें स्थापित हैं जिनमें कुल मिलाकर 28 लाख से ज़्यादा जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें 10 लाख से अधिक महिलाएँ शामिल हैं।[iv] इस तरह, संविधान संशोधन ने स्थानीय संस्थाओं को अधिकार, संरचना और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व – तीनों दृष्टियों से मज़बूती प्रदान कर भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण को एक ठोस आधार दिया।

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 7.9 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

स्थानीय संस्थाओं की वर्तमान भूमिका और आए बदलाव

संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद से पिछले तीन दशकों में स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों) की भूमिका में कई सकारात्मक परिवर्तन देखे गए हैं। विकेंद्रीकृत योजना एवं सेवा प्रदायः अब ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर वार्षिक विकास योजनाएँ तैयार कर रही हैं और स्थानीय जरूरतों के अनुसार परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही हैं।[v] केंद्र एवं राज्य सरकारें भी वित्तीय आयोगों और योजनाओं के माध्यम से सीधे निधि उपलब्ध करा रही हैं, जिससे हर पंचायत को बुनियादी विकास कार्यों के लिए कुछ न कुछ धनराशि मिलना सुनिश्चित हुआ है।[vi] उदाहरणस्वरूप 15वें वित्त आयोग ने 2021–26 की अवधि में पंचायतों को मूलभूत सेवाओं हेतु ₹2.36 लाख करोड़ अनुदान की सिफारिश की, जिसमें से 2020–21 के बीच ₹1.08 लाख करोड़ से अधिक राशि जारी भी की जा चुकी है।[5] इससे ग्रामीण स्तर पर स्थानीय बुनियादी सुविधाओं (जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क, आदि) में सुधार हुआ है। कई पंचायतें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसे क्षेत्रों में अपनी पहल से नवाचार भी कर रही हैं। शहरी स्थानीय निकायों की भूमिकाएं भी नगर नियोजन, कचरा प्रबंधन, जलापूर्ति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाओं के प्रबंधन में बढ़ी हैं, तथा "स्मार्ट सिटी" पहल के अंतर्गत नगर प्रशासन में तकनीकी सुधार लाए जा रहे हैं।

महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि: 73वें/74वें संशोधन के तहत आरंभ में 33 प्रतिशत आरक्षण से लेकर अब अधिकांश राज्यों ने महिला आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। वर्तमान में 21 राज्यों एवं 2 केंद्र–शासित प्रदेशों ने अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन कर पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया है।[5] नतीजतन, आज देशभर में लाखों महिलाएँ ग्राम प्रधान, पंच, पार्षद, मेयर आदि नेतृत्वकारी भूमिकाओं में कार्यरत हैं। महिलाओं की इस उपस्थिति ने स्थानीय शासन की प्राथमिकताओं में परिवर्तन लाया है – स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास जैसे मुद्दे पंचायत स्तर पर ज़्यादा प्राथमिकता पा रहे हैं। अनेक स्थानों पर महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता से यह साबित किया है कि वे सशक्त निर्णय लेने और समुदाय के हित में कार्य करने में सक्षम हैं। सरकार भी निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWRs) के सशक्तीकरण के लिए विशेष कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)" जैसी योजनाओं के माध्यम से उनके क्षमता–विकास का प्रयास कर रही है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और धीरे–धीरे नीति–निर्माण में उनकी प्रभावी सहभागिता में इज़ाफा हो रहा है।[vii]

डिजिटल गवर्नेंस एवं पारदर्शिता: सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार से पंचायतों एवं नगर निकायों के कार्यों में भी डिजिटल बदलाव आया है। पंचायती राज मंत्रालय ने ई–पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत मळतंऊैंतंर नामक एक राष्ट्रीय वेब–पोर्टल लॉन्च किया है, जो पंचायतों में योजना निर्माण, प्रगति अनुश्रवण, वित्तीय

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 7.9 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

प्रबंधन व हिसाब–किताब को ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से दर्ज करने की सुविधा देता है। देशभर की ग्राम पंचायतें अपने खातों का डिजिटल रखरखाव कर रही हैं तथा AuditOnline जैसे ऑनलाइन ऑडिट प्लेटफ़ॉर्म पर अपने व्यय और प्राप्तियों का लेखा–जोखा दे रही हैं। ई–ग्रामस्वराज पोर्टल को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) से जोड़ते हुए ईजीएसपीआई (eGSPI) इंटरफ़ेस तैयार किया गया है, जिससे ग्राम पंचायतें ठेकेदारों/विक्रेताओं को ऑनलाइन भुगतान सीधे अपने बैंक खाते से कर पा रही हैं।[5] जो स्थानीय शासन में तकनीकी परिवर्तन के व्यापक प्रसार को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कई राज्य सरकारों ने नगर निकायों के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन, जन्म–मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने, संपत्ति कर एवं अन्य करों के डिजिटल भुगतान, जीआईएस आधारित संपत्ति मानचित्रण, तथा सोशल मीडिया के जरिये नागरिक जुड़ाव जैसी ई–गवर्नेंस पहलों को अपनाया है। डिजिटल गवर्नेंस से न सिर्फ़ कार्यप्रणाली में गति और कुशलता आई है, बल्कि भ्रष्टाचार में कमी और जनता के प्रति जवाबदेही भी बढ़ी है।[6]

चुनौतियाँ

स्थानीय संस्थाओं की शक्तियाँ बढ़ने के बावजूद, उनके सशक्तिकरण मार्ग में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं:–

- **वित्तीय संसाधनों की कमी**: अधिकांश पंचायतें और नगर निकाय अपने स्वयं के राजस्व सीमित मात्रा में जुटा पाते हैं और इन्हें मुख्यतः राज्य व केंद्र पर अनुदानों के लिए निर्भर रहना पड़ता है। राज्य वित्त आयोग (थ्ब्) की सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन न होना और कर संरचनाओं (जैसे ळैज् के केंद्रीकरण) के चलते इनके पास आर्थिक स्वायत्तता कम है।[viii] परिणामस्वरूप, स्थानीय स्तर पर विकास कार्य कई बार धन के अभाव में रुक जाते हैं। हालांकि केंद्रीय वित्त आयोगों के अनुदान एक सहारा प्रदान करते हैं, परंतु दीर्घकालीन समाधान के लिए राजस्व के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता बनी हुई है।
- **अधिकारों का अधूरा विकेंद्रीकरण एवं राजनीतिक हस्तक्षेप**: संविधान द्वारा 29 विषय पंचायतों को सौंपने का प्रावधान है, लेकिन कई राज्य सरकारों ने इन विषयों में पूर्ण अधिकार पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किए हैं।[8] कुछ मामलों में स्थानीय विकास संबंधी फैसलों में विधायिका के सदस्यों का दखल ज्यादा रहता है, जिससे पंचायतों की स्वायत्तता सीमित होती है। राज्य सरकारें कभी–कभी अपने राजनीतिक हितों के चलते पंचायतों/नगर निकायों के चुनाव टालने या समय से पूर्व भंग करने जैसे हस्तक्षेप भी करती हैं। नगरीय निकायों में महापौरों के कमज़ोर अधिकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नगर आयुक्तों का दबदबा होने से लोकतांत्रिक जवाबदेही प्रभावित होती है। इस तरह के राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप स्थानीय संस्थाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने और अपने क्षेत्रों की जरूरत के मुताबिक काम करने में बाधा पहुंचाते हैं।

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 7.9 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

- **प्रशिक्षण एवं क्षमताओं का अभाव**: बड़ी संख्या में चुने गए जनप्रतिनिधियों के लिए शासन, बजट, और योजना निर्माण का अनुभव नया होता है। अपेक्षित प्रशिक्षण एवं जानकारी के अभाव में कई पंचायत प्रतिनिधि प्रभावी ढंग से अपनी भूमिकाएँ नहीं निभा पाते।[8] विशेषकर ग्राम प्रधानों, वार्ड सदस्यों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं, वित्तीय प्रबंधन, तकनीकी उपकरणों के उपयोग आदि में लगातार क्षमता–वृद्धि प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण ढाँचे (जैसे राज्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान – NIRDPR) को सीमित संसाधन मिलने से यह कमी और गंभीर हो जाती है।[6] परिणामस्वरूप, अच्छी योजना होने पर भी कई बार उसका क्रियान्वयन कौशल की कमी के कारण प्रभावित होता है।
- **पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मुद्दे**: कई स्थानीय निकाय अब भी पारदर्शी शासन के लक्ष्य से दूर हैं। कुछ स्थानों पर निर्णय–प्रक्रिया में जनता की भागीदारी नाममात्र की रहती है, जिससे निर्णयों में पारदर्शिता की कमी हो सकती है। वित्तीय प्रबंधन में कभी–कभी भ्रस्टाचार और धन के ग़लत उपयोग के आरोप सामने आते हैं, जिससे जनता का भरोसा कमजोर होता है।[6] हालाँकि डिजिटल उपकरण (जैसे ऑनलाइन खाते) और सामाजिक अंकेक्षण (social audit) जैसी पहलें आरंभ हुई हैं, पर इन्हें सभी जगह प्रभावी रूप से लागू करना एक चुनौती बना हुआ है।
- **संरचनात्मक एवं संचालन संबंधी बाधाएँ**: त्रिस्तरीय प्रणाली में योजनाओं के समन्वय हेतु ज़िला योजना समिति (DPC) जैसे प्रावधान बनाए गए, लेकिन अधिकांश राज्यों में ये समितियाँ प्रभावहीन सिद्ध हुई हैं और जिला स्तर पर योजनाओं का समेकन ठीक से नहीं हो पाता। ग्रामसभा, जिसका उद्देश्य जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना है, कई जगह नियमित रूप से नहीं होती या उसमें नागरिकों की उपस्थिति कम रहती है, जिससे जमीनी निगरानी कमजोर पड़ती है। इसके अतिरिक्त, आरक्षित पदों (मुखिया/अध्यक्ष) के रोटेशन प्रणाली के कारण नेतृत्व में निरंतरता की कमी भी एक समस्या के रूप में उभरी है – आरक्षित अवधि समाप्त होने पर अगले कार्यकाल में कोई और प्रतिनिधि आने से कई बार लंबे अवधि की योजनाएँ अधूरी रह जाती हैं या नीति सततता में बाधा आती है।[8]

संभावनाएँ और भविष्य की दिशा

इन चुनौतियों के बावजूद स्थानीय संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं। सबसे पहले, **वित्तीय सशक्तिकरण** को बढ़ावा देकर पंचायतों व नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसके लिए राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को अनिवार्य रूप से लागू करना, स्थानीय कर आधार को विस्तृत करना (जैसे संपत्ति कर, व्यापार कर इत्यादि में सुधार) तथा केंद्र–राज्य अनुदानों के निर्धारण में प्रदर्शन–आधारित

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 7.9 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

प्रोत्साहन शामिल किए जा सकते हैं। यदि पंचायतें अपनी आय स्वयं जुटाने में सक्षम बनती हैं, तो वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप व्यय कर पाएंगी और उच्च सरकारों पर निर्भरता घटेगी।

दूसरे, **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण** पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रत्येक स्तर के जनप्रतिनिधियों के लिए संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से चलाए जाएँ। आधुनिक तकनीकी उपकरणों, योजना निर्माण, बजट अनुश्रवण, तथा कानूनों की जानकारी पर केंद्रित पाठ्यक्रम तैयार करके उनको कुशल शासन हेतु तैयार किया जाना चाहिए।[8] राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों को पर्याप्त बजट एवं संसाधन उपलब्ध कराना होगा ताकि वे पंचायतों को मार्गदर्शन और परामर्श दे सकें। साथ ही, सिविल सोसायटी और गैर–सरकारी संगठनों की स्थानीय शासन में भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए – ये संगठन जनजागरूकता, सामाजिक अंकेक्षण, महिला एवं हाशिए के समूहों की भागीदारी बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।[6] स्थानीय समुदाय के प्रबुद्ध नागरिकों को शामिल करते हुए स्थानीय सलाहकार समितियों का गठन भी एक नवीन उपाय हो सकता है, जो पंचायती राज संस्थाओं को तकनीकी एवं प्रबंधकीय परामर्श दे सकें।

तीसरे, **पारदर्शिता व उत्तरदायित्व** सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक और सामाजिक पहल का मिश्रण करना होगा। 'ई–'गवर्नेंस परियोजनाओं का दायरा बढ़ाकर शत–प्रतिशत पंचायतों/नगर निकायों को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर लाना चाहिए, जहाँ बजट, व्यय, योजनाओं की प्रगति और निर्णयों का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को ग्रामीण और शहरी, दोनों स्तरों पर सशक्त करना होगा – प्रत्येक महत्वपूर्ण परियोजना या खर्च का सामाजिक अंकेक्षण स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से हो, इसके लिए कानूनी अनिवार्यता तथा स्वतंत्र ऑडिट इकाइयाँ विकसित की जानी चाहिए।[6] ग्राम सभा एवं वार्ड सभाओं की नियमित बैठकें और उनमें महिलाओं व वंचित वर्गों की सक्रिय भागीदारी भी जवाबदेही तय करने का प्रभावी जरिया बनेगी।

अंत में, **स्थानीय संस्थाओं की भूमिका का विस्तार** भविष्य की ज़रूरतों के मुताबिक करना होगा। कुछ उन्नत पंचायतें बुनियादी लक्ष्यों को हासिल कर चुकी हैं और अब आजीविका संवर्धन, डिजिटलीकरण, जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसे उच्च–स्तरीय मुद्दों पर काम करने की इच्छुक हैं। ऐसे में नीति–निर्माताओं को "नेक्स्ट–जेनरेशन" पंचायतों के लिए मार्गदर्शक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जिससे वे नवाचार (जैसे सोलर ऊर्जा, स्मार्ट एग्रीकल्चर, आपदा प्रबंधन) की दिशा में पहल कर सकें।[6] इसी प्रकार शहरी निकायों को भी तेज़ी से पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने हेतु अधिक अधिकार और संसाधन देने होंगे। आने वाले वर्षों में स्थानीय संस्थाओं को सतत विकास लक्ष्य (SDGs) के स्थानीयकरण में भी प्रमुख भूमिका निभानी होगी, ताकि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जा सके।

निष्कर्ष

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 7.9 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

भारत में स्थानीय संस्थाएँ लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने की अपार क्षमता रखती हैं। पिछले तीन दशकों में आए परिवर्तनों ने स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों की सहभागिता, को बढ़ाया है और विकास को जनकेन्द्रित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आगे चलकर एक समग्र मूल्यांकन द्वारा मौजूदा खाइयों को दूर करते हुए पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन को फिर से ऊर्जा देने की आवश्यकता है, ताकि ये संस्थाएँ महज़ योजनाओं के क्रियान्वयन करने वाले एजेंसी न रहकर वास्तविक अर्थों में जनभागीदारी वाले लोकतंत्र और सतत विकास के संवाहक बन सकें। एक दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत सुधारों और समुदाय के सहयोग से भारत में स्थानीय संस्थाओं की बदलती भूमिका निश्चित ही "ग्राम स्वराज" और "नगर स्वराज" के सपने को साकार करने में निर्णायक सिद्ध होगी।

संदर्भ सूची

[i] Dash, S. Panchayati Raj: Grossroots Democracy. Orissa Review, February 2007.

[ii] Chapter 42: Local Bodies, Accessed by: https://mospi.gov.in/sites/default/files/Statistical_year_book_india_chapters/LOCAL%20BODIES-WRITEUP_0.pdf#:~:text=governments%20during%20the%201950s%20and,put%20on%20them%20by%20the

[iii] Ministry of Panchayati Raj. Accessed by: https://panchayat.gov.in/en/about-department/introduction/#:~:text=In%20a%20federation%20the%20powers,Governments%20in%20its%20federal%20setup

[iv] UNDP. From Reservation to Participation – (9 April, 2012), Accessed by: https://www.undp.org/india/publications/reservation-participation-0#:~:text=to%20the%20Scheduled%20Castes%20,than%201%20million%20are%20women3

[v] Ministry of Panchayati Raj. Participation of Women in Panchayats – (6 Feb 2021). Accessed by: https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2003196#:~:text=5,their%20constitutionally%20mandated%20developmental%20plans

[vi] Institute of Social Science. Three Decadeds of Panchayats in India. Accessed by: https://issin.org/blog/three-decades-of-panchayats-in-india/#:~:text=Decentralization%20and%20Guaranteed%20Development%20Funds%3A

[vii] https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?

[viii] Drishti IAS. Status of Devolution to Panchayats in States. (17 Feb 2021), Accessed by: https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/status-of-devolution-to-panchayats-in-states-2021-report#:~:text=inconsistently%20transferred%20as%20State%20governments,in%20governance%2C%20budgeting%2C%20and%20planning